बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::आदेश::

पटना, दिनांक 17/03/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–250/2025–1062/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–1884/2022 रंजीत कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–06.02.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–1884/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–06.02.2025 को पारित आदेश की कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"...Having gone through the case in its entirety and heard learned counsel for the parties, it would be deem, fit, proper and in the interest of justice, to relegate the case of the petitioner before the concerned authority for just and proper decision.

Accordingly, I direct the petitioner to file a detailed representation before the respondent no.5 along with the documents, which have been annexed in this writ application, in support of his claim, within a period of one month from today. Respondent no.5 is directed to consider the case of the petitioner after affording opportunity of personal hearing and pass a reasoned and speaking order in accordance with law within two months from the date of receipt of such representation."

3 .उक्त पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए दिनांक–07.07.2025, दिनांक 21.07.2025 दिनांक 31.10.2025 एवं दिनांक 6.02. 2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई निर्धारित की गयी। जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. याचिकाकर्ताओं का कथन है कि उनके द्वारा वर्ष 2014 में विभिन्न प्रखंड नियोजन इकाईयों में स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित प्रखंड शिक्षक के पद पर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अलग अलग तिथियों को बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त

नियमावली –2012) के प्रावधान के तहत नियुक्त हुए। साथ ही कहना है कि उनके योगदान कि तिथि को उनलोगो के विद्यालय में पूर्व से नियोजित बेसिक ग्रेड के शिक्षक (जो पूर्व में शिक्षा मित्र थे) का वेतन उनलोगों से कम था। तदोपरांत विभागीय संकल्प संख्या–1530, दिनांक 11.08.2015 द्वारा दिनांक 01.07.2015 से वेतन को पुनः निर्धारित करते हुए नियत वेतन को वेतनमान में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। जिसके आलोक में वेतन निर्धारण के उपरांत याचिकाकर्ताओं का वेतन पूर्व से नियोजित बेसिक ग्रेड के शिक्षक के वेतन से कम हो गया।

5. याचिकाकर्ताओं के द्वारा वरीय शिक्षकों का वेतन कनीय शिक्षकों के समतुल्य करने हेतु दिनांक 01.07.2015 के वेतन पुनरीक्षण में यथोचित संशोधन करते हुए वेतन विसंगति को दूर करने का अनुरोध किया गया है।

6. अंकनीय है कि विभागीय आदेश सं0 1811 दिनांक 22.09.2015 के कंडिका–1 में विभागीय संकल्प सं0–1530 दिनांक 11.08.2015 में निहित निदेश के अनुसार नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतनमान देय होगा :–

- 1.1 दिनांक 01.07.20215 के पूर्व नियुक्त नियोजित शिक्षकों को पूर्व की सेवा की गणना के आधार पर शिक्षक को प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा हेतु एक वार्षिक वेतन वृद्धि तीन प्रतिशत की दर से देय होगी अर्थात जिन शिक्षकों की सेवा एक जुलाई , 2015 को तीन वर्ष से कम होगी, उन्हें वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं होगी।
- 1.2 जिन शिक्षकों की सेवा एक जुलाई, 2015 को तीन वर्ष या तीन वर्ष से अधिक किन्तु छह वर्ष से कम होगी, उन्हें एक वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी।
- 1.3 जिन शिक्षकों की सेवा छह वर्ष से अधिक किन्तु नौ वर्ष से कम होगी उन्हें दो वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी।
- 1.5 शिक्षा मित्र जिन्हें एक जुलाई 2006 के प्रभाव से पंचायत शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया है, केवल उनके मामले में एक जुलाई 2015 को नौ वर्ष की सेवा पूर्ण होने के आधार पर तीन वेतन वृद्धि की अनुमान्यता होगी।

7. वादीगणों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। वादीगणों के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य व अभिलेख नहीं लाया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि दिनांक 01.07.2015 के वेतन पुनरीक्षण के योग्य होने हेतु तीन वर्ष की सेवा पूर्ण हुई हो ।

8. उपरोक्त वाद से संबंधित वरीय शिक्षक (स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित प्रखण्ड शिक्षक) की नियुक्ति कनीय शिक्षक (शिक्षा मित्र) से 9 वर्ष बाद की है। तद्‌लोक में एक जुलाई , 2015 को बिना समय अवधि पूर्णता के वेतनमान लागू नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वादी के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।

(विक्रम विरकर) 16/03/26
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–250 / 2025...1062..... पटना, दिनांक .....17/03/26.

प्रतिलिपिः– 1. Ranjeet Kumar S/o Late Ram Sagar Singh, Resident of Village – Maksapur Bihat, P.S. - Barauni Distt. - Begusarai.

2. Kamlesh Kumar Singh, S/o Jai Krishna Singh, Resident of Village - Maulabagh, Near Yadav School, P.S. - Ara Sadar, Distt. and Town – Ara Bhojpur.

3. Nasir Beg, Abdul Lasis Beg, Resident of Village - Raja Bazar, Shiv Mandir Gali Rukanpura, P.S. - Rukanpura, Distt. and Town - Patna.

4. Amrita Chandra, W/o Shekhar Prakash, Resident at Hope Mahendra Flat No.209 Block - C Chitraguptnagar, Munnachak, P.S. – Ptrakarnagar Kankarbagh, Distt. and Town - Patna.

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/03/26
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–250 / 2025...1062..... पटना, दिनांक 17/03/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/03/26
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।